न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बन्धु, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 31 / 2019

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थी–**

प्रेमसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

1. दुर्गसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी एड मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 ।

उपस्थिति :–
1. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पदमसिंह पड़िहार, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 23.11.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.06.1966 को अप्रार्थी दुर्गसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी एड मानजी तहसील सिणधरी के नाम ग्राम एड मानजी के खसरा नंबर 106 में रकबा 30–11 बीघा भूमि आवंटन की गई + अप्रार्थी की ओर से तथ्य छिपाकर भूमि आवंटन समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखकर आवंटन कराया जाना अभिकथित करते हुए उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.06.2019 को प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी दुर्गसिंह ने स्वयं को भूमिहीन काश्तकार बताकर मौजा एड मानजी के खसरा नंबर 106 में से रकबा 30–11 बीघा भूमि आवंटित करने बाबत किसी प्रकार का कोई आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी सं. 1 उस समय आवंटन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने हेतु पात्रता एवं योग्यता नहीं रखता था तथा विधि अनुसार आवेदन–पत्र सत्यापित नहीं था। अप्रार्थी सं. 1 ने सही तथ्यों को छिपाकर व आवंटन समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखकर उक्त भूमि आवंटन कराई है जबकि वक्त आवंटन अप्रार्थी नाबालिग था तथा उसकी उम्र लगभग 7–8 वर्ष थी। अप्रार्थी सं. 1 का आलौच्य आवंटन के पश्चात उक्त विवादित भूमि पर कभी कब्जा–काश्त विद्यमान नहीं रहा हैं। इस प्रकार अप्रार्थी दुर्गसिंह अथवा उसके सम्बन्धियों ने भूमि आवंटन समिति के समक्ष सही तथ्यों को छिपाकर छल व कपट के आधार पर अपने पक्ष में भूमि का आवंटन कराया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया उपरोक्त भूमि आवंटन निरस्त फरमावें।

4. अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि आलौच्य आवंटन तहसीलदार बाड़मेर द्वारा आवंटन नियम 1957 के तहत किया गया था जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हैं जो लागू नहीं होने से काबिल निरस्त हैं। अप्रार्थी सं. 1 वक्त आवंटन बालिग था जिसकी उम्र [illegible] साल थी और काश्त करने में सक्षम था एवं आवंटन की [illegible] था। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भूमि आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष [illegible]यमानुसार आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी पूर्ण जांच कर आवंटन किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 का वक्त

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आवंटन से ही विवादित भूमि मौजा एड मानजी के खसरा नम्बर 106 रकबा 30–11 बीघा पर निरन्तर कब्जा–काश्त विद्यमान हैं। अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में आलौच्य आवंटन को 54 वर्ष हो गये हैं तथा अप्रार्थी सं. 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। इस प्रकार इतनी लम्बी समयावधि के पश्चात अब आवंटन किसी भी सूरत में खारिज नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थी के पिता द्वारा आलौच्य आवंटन की भूमि को पैतृक सम्पति मानते हुए एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं जो विचाराधीन हैं। उक्त वाद में सफलता मिलने की गुंजाईश नहीं होने से दबाव बनाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। इस प्रकार आलौच्य आवंटन में किसी प्रकार से गलत, विधि–विरूद्ध एवं निराधार कार्यवाही नहीं हुई हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5. हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह हैं कि आवंटी दुर्गसिंह द्वारा तथ्य छिपाकर कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया है, जिसके आधार पर यह प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का कथन हैं कि वक्त आवंटन अप्रार्थी सं. 1 नाबालिग था तथा उसकी उम्र लगभग 7–8 वर्ष थी। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज आधार रसीद में अप्रार्थी सं. 1 की जन्मतिथी 21.01.1960 अंकित हैं अर्थात् वक्त आवंटन उसकी उम्र लगभग 6 वर्ष ही थी। इस साक्ष्य दस्तावेज के विरूद्ध प्रतिरक्षण में अप्रार्थी सं. 1 ने कोई ठोस दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया हैं। इससे यह तथ्य भली–भांति साबित हैं कि अप्रार्थी सं. 1 वक्त आवंटन नाबालिग था तथा वह एक सद्भाविक काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता था। जहां तक अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की यह उजर कि आवंटन 1957 के नियमों में हुआ हैं जिसके लिये आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) इस आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता हैं, इस सम्बन्ध में नियम में स्पष्ट प्रावधान हैं कि 1957 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नियमों के तहत हुए आवंटन के विरूद्ध 14(4) के तहत सुनवाई उपरांत आवंटन निरस्त किया जा सकता हैं। इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा अवैध आवंटन को निरस्त करने का प्रावधान हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 1 वक्त आवंटन नाबालिग होने एवं सद्भाविक काश्तकार की श्रेणी में नहीं होने के बावजूद तथ्यों को छिपाकर मिथ्याव्यपदेशन किया गया है जिसके आधार पर आलौच्य आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.06.1966 को अप्रार्थी दुर्गसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी एड मानजी तहसील सिणधरी के नाम ग्राम एड मानजी के खसरा नंबर 106 में रकबा 30–11 बीघा भूमि आवंटन तथ्य छिपाकर, भूमि आवंटन समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखकर, मिथ्याव्यपदेशन द्वारा आवंटन कराया जाना पाये जाने से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किया जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:38:18 IST
Reason: SelfAttested